कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2022/1078 दिनांक ::27 अप्रैल 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री (डॉ.) इन्द्रजीत यादव आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को सांय 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 30 दिसम्बर 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **30 दिसम्बर 2021** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **30 दिसम्बर 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: श्री खलील खां, निलम्बित गैंगमेन के सेवा में बहाली के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 के अनुसार कार्मिक को निलम्बित किये 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हैं, अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाकर निर्णय किया जाना हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

श्री खलील खां, निलम्बित गैंगमेन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सेवा में बहाल करने का निवेदन किया गया हैं, इन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा अभियोजन संख्या 122/2017 में गिरफ्तार किये जाने के कारण दिनांक 01.12.2017 को निलम्बित किया गया था।

उपरोक्तानुसार इन्हें निलम्बित हुए 4 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, इसी प्रकरण के अन्तर्गत श्री रामसिंह राणावत, कनिष्ठ सहायक एंव श्री बजरंग बली, कनिष्ठ लेखाकार को सेवा में बहाल किया जा चुका हैं, श्री खलील खां, गैंगमेन का भी प्रकरण इन्ही कार्मिको के समानान्तर हैं, विधिक राय भी प्राप्त की जा चुकी हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.07.2010 के अनुसार 3 वर्ष पश्चात् बहाल किये जाने का प्रावधान हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री खलील खां को पुनः सेवा में बहाल करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: सेवानिवृत कार्मिको की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

क्रं.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में कार्मिकों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने से रिक्त हुए पदो के विरूद्ध सेवानिवृत कार्मिकों को समेकित पारीश्रमिक पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिको को कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में, प्राधिकरण में रिक्त पदो के विरूद्ध कार्मिकों की सेवाए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई हैः-

क्रं. सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	आदेश क्रमांक	दिनांक	रिक्त पद के विरूद्ध
01.	श्री बजरंग सिंह पंवार	निजी सचिव	5751-54	31.12.2021	वरिष्ठ निजी सहायक
02.	श्री बाबुलाल डागी	भू0राजस्व निरीक्षक	537-545	09.02.2022	अमीन
03.	श्री रमेश माथुर	सहा0 प्रशा0 अधि0	537-545	09.02.2022	निजी सहायक

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा गया हैं।

उपरोक्तानुसार सेवानिवृत कार्मिको को माननीय आयुक्त महोदय, के अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण में निर्धारित पारिश्रमिक पर राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार संविदा पर लगाया गया उक्तानुसार प्राधिरकण की कार्यकारी समिति के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2022 से मार्च 2023 तक NICSI के माध्यम से करवाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इनवॉइस अनुसार लगभग 66 लाख रूपये का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गवर्नेंश को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में फरवरी 2013 से अब तक किया गया कम्प्यूटराईजेशन NICSI द्वारा संतोषजनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में पहले से चल रहे विकसित विभिन्न पोर्टलों का मेंटेनेंस फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (FTS) , IDMS, Salary and Pension, बेचान अनुमति मैनेजमेन्ट सिस्टम, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भुगतान, कम्प्यूटराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्कैनिंग, प्राधिकरण के द्वारा जारी किये जानें वाले पट्टों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनें हेतु पोर्टल, प्राधिकरण की स्कीम के प्लॉट मैनेजमेंट हेतु पोर्टल एवं Layout Plan Approval Tracking आदि एवं नए पोर्टल को विकसित करना, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य को निरन्तर NICSI से करवाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इनवॉइस अनुसार लगभग **66 लाख रूपये** का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने तथा अग्रिम भुगतान के अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर पत्रावली कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अग्रिम भुगतान के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु कितने कार्मिकों (मानव शक्ति) की आवश्यकता है, का पुरावलोकन/आंकलन भी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 716/4 में उपतहसील कार्यालय व आवास भवन प्रयोजनार्थ 10 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 716/4 में उपतहसील कार्यालय व आवास भवन प्रयोजनार्थ 10 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 716/4 रकबा 120.01 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से उपतहसील कार्यालय व आवास भवन प्रयोजनार्थ 10 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा सख्या 716/4 रकबा 120.01 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 716/4 ग्राम गुड़ा विश्नोइयान् का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में यू–2 निर्धारित है एवं उक्त भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 60 मी. (200 फीट) व 100'–100– वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। डीसीआर अनुसार यू–2 में गर्वमेन्ट ऑफिस अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 716/4 ग्राम गुड़ी विश्नोईयान् की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 281 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 716/4 रकबा 120.01 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से उपतहसील कार्यालय एवं आवास भवन प्रयोजनार्थ 10 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 716/4 रकबा 4000 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. गोचर में से उपतहसील कार्यालय एवं आवास भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 में रा.उ.प्रा. विद्यालय प्रयोजनार्थ 2 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 में रा.उ.प्रा. विद्यालय प्रयोजनार्थ 2 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति लूणी, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में राजस्व ग्राम धिगांणा के खसरा संख्या 192 रकबा 86.12 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 02 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम धिगांणा के खसरा सख्ंया 192 रकबा 86.12 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 192 ग्राम धिगांणा का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। पीडब्ल्यूडी से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त भूमि मास्टर डवलपमेन्ट रोड पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 डीसीआर अनुसार उक्त सड़क पर विद्यालय भवन व खेल मैदान अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्ंया 192 ग्राम धिगांणा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 842 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम धिगांणा के खसरा संख्या 192 रकबा 86.12 बीघा में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 02 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम धिगांणा के खसरा संख्या 192 रकबा 86.12 बीघा में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 638 मि. में श्मशान भूमि प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबघं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 638 मि. में श्मशान भूमि प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 638 मि. किस्म चाही–द्वितीय में श्मशान प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा सख्या 638 मि. रकबा 72.02 बीघा किस्म चाही–द्वितीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का पहुंच मार्ग कटाणी रास्ता नहीं है। मौके पर श्मशान भूमि जाने का कदमी रास्ता उपलब्ध है लेकिन कहीं कहीं पर रास्ता काश्तकारों द्वारा बंद रखा जाता है जो दाह–संस्कार के समय आने–जाने हेतु खोल दिया जाता है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 638 मि. ग्राम दांतीवाड़ा का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान रिपोर्ट पैरा 5.6.5 अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन का नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 638 मि. ग्राम दांतीवाड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 318 दिनांक 28.03.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के मापदण्ड निर्धारित है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 638 मि. रकबा 72.02 बीघा में से श्मशान प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि तक रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड/नक्शे में करवाकर प्रकरण निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयां के खसरा संख्या 600, रकबा 79.12 बीघा,

किस्म गै.मु. गोचर में से **पशु चिकित्सा उपकेन्द्र** प्रयोजनार्थ 929.0304 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर प्राप्त जांच–रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 रकबा 79.12 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है, जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा साथ ही गुगल मैप में प्रस्तावित भूमि को चिन्हित किया गया है। उक्त भूमि 200 फीट स्टेट हाई–वे मार्गाधिकार व 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोड़ने के पश्चात् मौके पर रिक्त है।

प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 600 ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार यू–2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है। यू–2 की डीसीआर अनुसार प्रश्नगत उपयोग 80' व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 600, ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 343, दिनांक 08.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 रकबा 79.12 बीघा, किस्म गै. मु. गोचर में से पशु चिकित्सा उपकेन्द, गुड़ा विश्नोईयां प्रयोजनार्थ 929.0304 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, गुडा विश्नोईयां हेतु 100 फीट गुणा 100 फीट भवन निर्माण की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोईयां के खसरा संख्या 491 किस्म गै.मु. गोचर में से 1000 वर्गमीटर भूमि नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोईयां के खसरा संख्या 491 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयां के खसरा संख्या 491, किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयां के खसरा सख्या 491, रकबा 12 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है तथा मौके पर चल रही डामर सड़क पर स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 491, ग्राम जाजीवाल विश्नोईयां का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार यू–2 में आरक्षित है। मास्टर प्लान–2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार यू–2 उपयोग में राजकीय कार्यालय हेतु अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 491, ग्राम जाजीवाल विश्नोईयां की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 219, दिनांक 03.09.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25/10/2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में उक्त प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय पारित किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गई तथा साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डोर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोईयान् के पंचायत भवन हेतु 500 वर्गमीटर की बजाय 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई, जिसके संदर्भ में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 257, दिनांक 07/02/2022 को प्रकरण व्यापक जनहित का होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के समक्ष 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयां के खसरा संख्या 491, रकबा 12 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोईयानं को नवीन ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोइयां के खसरा संख्या 491 रकबा 12 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर में से ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोईयान को नवीन ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाये जाने का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा में खसरा नं. 18 किस्म गै. मु. गौचर रकबा 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	33/11 केवी सब स्टेशन हेतु ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा में खसरा नं. 18 किस्म गै. मु. गौचर रकबा 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरूप प्रपत्र–स मय चैक लिस्ट मे आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 18 किस्म गै. मु. गोचर 33/11 केवी सब स्टेशन प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04 जुलाई 2019 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 27 के निर्णयानुसार भूमि का आवंटन करने हेतु निर्णय लिया गया था। ततपश्चात् राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 3232 दिनांक 02.08.19 को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् राज्य सरकार से पुनः पत्र प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसार आवासीय दर अथवा आवासीय दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन की जानी की सूचना चाही गई थी। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.01. 2022 के प्रस्ताव संख्या 7 के निर्णयानुसार 2500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(65)नविवि/जोधपुर/2019 जयपुर दिनांक 08.12.2021 के पत्र में भूमि आवंटन नीति 2015 के अंतर्गत बिन्दु संख्या 8 के शर्तो की पालना एवं प्राधिकरण की कार्यकारी की आगामी बैठक में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन के अनुमोदन की प्रत्याशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अतः प्रकरण में 2500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर अथवा आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु ग्राम चौखा राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु ग्राम चौखा राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 में आवेदन प्रस्तुत कर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु राजीव गांधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर बी में 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया था।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा गया था जिसके निर्णयानुसार राजीव गाधी नगर योजना में 4000 वर्गमीटर भूमि बालक छात्रावास हेतु जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग को निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् प्राधिकरण पत्रांक 631 दिनांक 17.09.2021 को राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया जिसके संबंध में राज्य सरकार के पत्र कमांक प.1(72)नविवि/जोधपुर/2021 जयपुर दिनांक 29.10.2021 को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग को 4000 वर्गमीटर भूमि निशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

तत्पश्चात् कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जोधपुर द्वारा पत्र कमांक अमावि/जोध/2021–22/1923 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का मौका मुआयना किया गया जो कि चौरस एवं समतल नही है एवं भूमि के चारो और बहुत गहरा खड्डा है। बाद में प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता द्वारा पुनः मौका मुआयना किया गया जिसमें पुनः नई भूमि का चिन्हीकरण किया गया जो कि समतल है।

आवंटित भूमि की लोकेशन में अन्तर है। अतः अल्पसंख्यक विभाग को बालक छात्रावास हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में निःशुल्क आवंटन किया जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अल्पसंख्यक विभाग को बालक छात्रावास हेतु 4000 वर्ग मीटर भूमि राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: रामराज नगर येाजना भूखण्ड संख्या 113 सेक्टर 4 प्रार्थी श्री पांचुलाल को भूखण्ड आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	रामराज नगर येाजना भूखण्ड संख्या 113 सेक्टर 4 प्रार्थी श्री पांचुलाल को भूखण्ड आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थी को पूर्वी पाल रोड योजना सेक्टर आई के भूखण्ड संख्या 147 का आवंटन हुआ था। पूर्व में उक्त खसरे में विवाद होने के कारण प्रार्थी द्वारा अन्यत्र भूखण्ड आवंटन की मांग की गई थी।

तत्पश्चात् प्रार्थी ने माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर (प्रथम), राजस्थान प्रकरण संख्या 371/2015 एवं अवमानना प्रकरण 10/2016 में अपील दायर की गई।

वर्तमान में प्रार्थी द्वारा रामराज नगर योजना सेक्टर 4 में भूखण्ड संख्या 113 आवंटित करने की मांग ही की जा रही है। अतः माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर (प्रथम), राजस्थान प्रकरण संख्या 371/2015 एवं अवमानना प्रकरण 10/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18 दिसंबर 2015 के आदेश की पालना में पूर्वी पाल रोड योजना सेक्टर आई के भूखण्ड संख्या 147 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के एवज में भूखण्ड संख्या 113 सेक्टर 4 रामराज नगर योजना क्षेत्रफल 113.80 वर्गमीटर का समतुल्य भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ, उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार पूर्वी पाल रोड योजना सेक्टर आई के भूखण्ड संख्या 147 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के एवज में भूखण्ड संख्या 113 सेक्टर 4 रामराज नगर योजना क्षेत्रफल 113.80 वर्गमीटर का समतुल्य भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा संख्या 509 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा संख्या 509 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 में आवेदन प्रस्तुत कर कब्रिस्तान हेतु ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा नं. 509 में रकबा–15 बीघा किस्म गै. मु. गोचर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोहिल्ला कलां मे लगभग 15 बीघा में चार दीवारी कर रखी है जिसमें ईदगाह बडा हॉल, ट्यूबवेल, टांका तथा विद्युत कनेक्शन हो रखा है तथा मौके पर उपस्थितान अनुसार मौके पर बनी चार दीवारी का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करना बताया गया है। खसरा संख्या 509 किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी–2031 के यू–2 में आरक्षित है। एमडीपी–2031 की रिपोर्ट अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलो को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलो का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। एसीपी की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार कब्रिस्तान/श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः विकास अधिकारी, रोहिल्ला कलां द्वारा ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा नं. 509 में 15 बीघा हेतु आवेदन किया है। अतः प्रकरण में 15 बीघा भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने/3000 वर्गमीटर भूमि कब्रिस्तान हेतु आवंटन करने के लिए कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक संस्था द्वारा कितनी भूमि का मौके पर उपयोग किया जा रहा है तथा मौके पर निर्मित चार दीवारी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 में आवेदन प्रस्तुत कर कब्रिस्तान हेतु मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में रकबा–22 बीघा किस्म गै. मु. गोचर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 256 व 257 ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) वर्तमान में लगभग 15 बीघा में चार दीवारी बनाकर कब्रिस्तान बना हुआ है जो लगभग 30–35 वर्षो से कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में आ रही है। मुस्लिम समाज जोधपुर हेतु कब्रिस्तान की मांग खसरा संख्या 254 बाबत उपस्थितान के अनुसार जोधपुर मुस्लिम समाज एवं मोकलावास (फकरापुरी) मुस्लिम समाज हेतु संयुक्त रूप से एक चक में खसरा संख्या 256 व 257 में ही किया जावें मौके पर भूमि खाली उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 256 व 257 राजस्व ग्राम मोकलावास का भू–उपयोग एमडीपी–2031 के यू–2 में आरक्षित है। एमडीपी–2031 की रिपोर्ट अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलो को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलो का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। एसीपी की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार कब्रिस्तान/श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः विकास अधिकारी, रोहिल्ला कलां द्वारा ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में 22 बीघा हेतु आवेदन किया है। अतः प्रकरण में 22 बीघा भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक संस्था द्वारा कितनी भूमि का मौके पर उपयोग किया जा रहा है तथा मौके पर निर्मित चार दीवारी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 किस्म गै.मु. गोचर में उप तहसील कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 किस्म गै.मु. गोचर में उप तहसील कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

तहसीलदार, बालेसर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 407.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **उपतहसील कार्यालय भवन** प्रयोजनार्थ 4045 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 407.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है तथा जोधपुर जैसलमेर हाईवे व ग्राम दूगर जाने वाली सड़कों के मध्य स्थित है जो मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार खाली है। नियमानुसार सड़कमार्गाधिकार छोड़कर आवंटन किया जाना अपेक्षित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1155 ग्राम आगोलाई का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार हाईवे कॉरिडोर जोन यू–3 में स्थित है। उक्त स्थल मास्टर प्लान– 2031 की 60 मीटर एनएच पर स्थित है एवं 60 मीटर एनएच के दोनो तरफ प्लांटेशन बेल्ट आरक्षित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की यू–3 उपयोग की डीसीआर अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकारी कार्यालय यू–3 में अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 1155 ग्राम आगोलाई की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1035 दिनांक 21.04.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा तहसील स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 407.05 किस्म गै.मु. गोचर में से उपतहसील कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 1155 रकबा 407.05 किस्म गै.मु. गोचर में से उपतहसील कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 किस्म गै.मु. गोचर में आई.टी.आई. संस्थान का भवन व प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 किस्म गै.मु. गोचर में आई.टी.आई. संस्थान का भवन व प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अधीक्षक, औद्योगिक प्रेशिक्षण संस्थान मण्डोर, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 761 रकबा 41.4397 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में आई.टी.आई संस्थान भवन व प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ 16.5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 762 रकबा 41.4397 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। जो मौके पर खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 761 ग्राम तिवंरी का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की ग्रामीण डीसीआर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर कॉचिंग सेन्टर, ट्रेनिंग सेन्टर व इन्स्टीट्यूट व 30 मीटर एवं उसके अधिक सड़क मार्गाधिकार पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसनल इन्स्टीट्यूट अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 761 ग्राम तिवंरी से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिटी पीटिशन नं. 4413/2021 शिवजी सिंह वगैरा वर्सेज जेडीए वगैरा लंबित है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 1033 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 30.06.2021 में अंकित बिन्दु संख्या 10 में 9.3 का संशोधन के अनुसार महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई सहित) राजकीय विभागों को संभागीय मुख्यालय पर 10,000 वर्गमीटर तक अन्य स्थानो पर 13,000 वर्गमीटर तक भूमि निःशुलक आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 761 रकबा 41.4397 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से आई.टी.आई.संस्थान भवन व प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ हेतु 16.5 बीघा भूमि आवंटन हेतु पत्रावली राज्य सरकार को भेजे जाने हेतु/आवंटन नीति 2015 के संशोधन अनुसार 13,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 761 रकबा 41.4397 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से आई.टी.आई.संस्थान भवन व प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ 10,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: श्री महेन्द्र खत्री पुत्र श्री ताराचन्द खत्री भूखण्ड संख्या 214 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटरराजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/43901	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी **श्री महेन्द्र खत्री पुत्र श्री ताराचन्द खत्री** कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 214 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक नहीं है । पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण निर्माण कार्य करवाया जाना संभव नहीं अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड पठारी ढलान में स्थित है मौके पर पहुच मार्ग नहीं है ब्लॉक मुटाम नहीं होने के कारण प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 87 सेक्टर–एफ राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 214 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 87 सेक्टर–एफ क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 18 :: सुश्री दिपीका जोशी पुत्री श्री राजेन्द्र जोशी जरिये आम मुख्तायार श्री सुभाष नकडा पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र नकडा भूखण्ड संख्या 299 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/47191	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

श्री सुभाष नकडा पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र नकडा को कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 299 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड

आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। श्री सुभाष नकडा पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र नकडा ने उक्त भूखण्ड अपना आम मुख्त्यार नामा सुश्री दिपीका जोशी पुत्री श्री राजेन्द्र जोशी को उप पंजीयक (चतुर्थ) क्रमांक 202203054400067 के द्वारा नियुक्त कर दिया गया । आम मुख्त्यार सुश्री दिपीका जोशी पुत्री श्री राजेन्द्र जोशी जरिये आम मुख्त्यार श्री सुभाष नकडा पुत्री श्री ज्ञानचन्द्र नकडा द्वारा दिनांक 01.04.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर निर्माण नहीं करवा सकने एवं मौके पर लगभग 40–50 फीट गहरा खड्डा होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मुटाम नहीं है व एप्रोच रोड नहीं होने तथ सम्पूर्ण ब्लॉक पहाडी क्षैत्र एवं ढलान पर होना बताया है । प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–बी राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 299 सेक्टंर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 19 :: श्रीमति सुषमा श्रीवास्तव पत्नी श्री आनन्द स्वरूप भूखण्ड संख्या 301सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटरराजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/47232	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी **श्रीमति सुषमा श्रीवास्तव पत्नी श्री आनन्द स्वरूप** कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 301 सेक्टर–ए, राजीव गाधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 12.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई । प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 18.03.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पहाडी व ढलान पर है पास ही गहरा गड्डा होने तथा निर्माण कार्य करवाया जाना संभव नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मुख्य सडक से उक्त ब्लॉक तक आने हेतु 30–40 फीट गहरे गड्डे मे से होकर जाना पडता है व सम्पूर्ण ब्लॉक पहाडी पर स्थित होना बताया है । अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 85 सेक्टर–एफ राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 301 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 85 सेक्टर–एफ क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 20 :: डा. अमित कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण भूखण्ड संख्या 336 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटरराजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/47910	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी **डा. अमित कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण को** कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 336 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्थान पर अब तक विकास नहीं हुआ तथ प्लॉट की जगह बड–बडे पत्थर पडे व सडक नहीं होने तथा निर्माण कार्य करवाना संम्भव नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने एवं पठारी ढलान में स्थित है तथा पहुँच मार्ग नही है भूखण्ड पर जाने के लिए 25–30 फीट गहरा गड्डे में होकर जाना पडता है । अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 183 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 336 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 183 सेक्टर–ई क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री शेरसिंह चौधरी पुत्र श्री गोरधनराम चौधरी भूखण्ड संख्या 341 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/48086	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री शेरसिंह पुत्र श्री गोरधनराम चौधरी को कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 341 सेक्टर–ए, राजीव गाधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 08.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्थान पहाडी पर होने तथा पहुचने का मार्ग नहीं है निर्माण कार्य करवाना संम्भव नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने एवं पठारी ढलान में स्थित है तथा पहुँच मार्ग नही है । अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 88 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 341 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 88 सेक्टर–ई क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्री जमनादास पुत्र श्री बंशीलाल भूखण्ड संख्या 316 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। JDA/FTS/47622	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री जमनादास पुत्र श्री बंशीलाल को कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 316 सेक्टर–ए, राजीव गाधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित

किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 08.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्थान पहाडी पर होने तथा पहुचने का मार्ग नहीं है निर्माण कार्य करवाना सम्भव नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने एवं पठारी ढलान में स्थित है तथा पहुँच मार्ग नही है । अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 102 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 316 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 102 सेक्टर–ई क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री तेजाराम पुत्र श्री सांवतराम भूखण्ड संख्या 351 सेक्टर–ए क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/48195	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री तेजाराम पुत्र श्री सांवतराम को कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 351 सेक्टर–ए, राजीव गाधी नगर योजना में क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 02.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.03.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्थान पहाडी पर होने तथा पहुचने का मार्ग नहीं है निर्माण कार्य करवाना सम्भव नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने एवं पठारी ढलान में स्थित है तथा पहुँच मार्ग नही है तथा ब्लॉक समीप 40–50 फीट गहरा गड्डा होना बताया है । प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 75 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 351 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 75 सेक्टर–ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। उक्त समिति एक माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 24 :: ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर के संबंध मे।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर।	ग्राम आगंणवा के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर आवंटन में त्रुटि बाबत।

ग्राम आगणवा के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर हेतु प्रपत्र 'स' आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमे 6.5 एकड भूमि हेतु आवेदन किया गया।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा खसरा सं 74 रकबा 235.17 बीघा किस्म गैमु. पहाड़ नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है जो मूल खसरा संख्या है राजस्व रेकर्ड में कोई बट्टा नम्बर नही हैं अतः कोई तरमीम भी नही है। राजस्व जमाबन्दी व नक्शा संलग्न हैं ग्रम आगंणवा खसरा संख्या 74 पूर्व में आवंटित व प्रस्तावित भूमि का नजरीय नक्शा प्रस्तुत किया गया हैं।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 17 में ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश मण्डोर खसरा संख्या 74 का निर्णय ले लिया गया था। अतः जिसमे ग्राम आगंणवा के खसरा सं 74 में राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर जोधपुर को अग्रिम प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में त्रुटि सुधार हेतु रखा जावे।

राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति मे भी कार्यकारी समिति के अनुकूल ही ग्राम आंगणवा के स्थान पर ग्राम मण्डोर का खसरा संख्या 74 लिखित है।

अतः कार्यकारी समिति दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 17 में ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 के स्थान पर राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर, जोधपुर को ग्राम आंगणवा का खसरा संख्या 74 में आवंटन किये जाने हेतु त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 के स्थान पर राजकीय महिला आई.टी.आई. मण्डोर, जोधपुर को ग्राम आंगणवा का खसरा संख्या 74 में आवंटन किये जाने हेतु त्रुटि सुधार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर हेतु ग्राम आगंणवा के खसरा संख्या 74 में 4 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर को ग्राम आगंणवा के खसरा संख्या 74 में 4 एकड़ भूमि आवंटन	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर को ग्राम आगंणवा के खसरा संख्या 74 में 4 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन के संबंध मे।

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर हेतु ग्राम आंगणवा में आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' में आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसमे 4 एकड भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन किया गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर ग्राम आंगणवा खसरा सं 74 में उक्त भूमि पूर्व में आवंटित राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर के दक्षिण दिशा में स्थित है,एंव मौके पर भूमि रिक्त पड़ी हैं। इसी खसरे में मेगा आवास स्कीम जेडीए, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग जोधपुर मानसिक विमांदित गृह, पी.एच.ई.डी एवं VAMBAY योजना स्थित है। जीएसएस हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा चिन्हित लोकेशन का लैण्डयूज मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 एंव जोनल डवलपमेंट प्लान (नगर निगम जोधपुर) के अनुसार आवेदित भूमि आवासीय भू–उपयोग में आरक्षित है प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की किसी भी सड़क से प्रभावित नही होती हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 आवासीय डी सी आर अनुसार 30 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर कॉलेज अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरो पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है। आम सूचना का प्रकाशन 17.2.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है।

अतः ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर को 4 एकड़ भूमि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याशा में आवंटन नीति–2015 के बिन्दू संख्या 9.3 के अनुसार निःशुल्क आवंटन हेतु इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 52 दिनांक 18.2.2022 से राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर जोधपुर को 4 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाये जाने का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल भूखण्ड संख्या 234 (30 X 60 बनाप 167.22 वर्गगज) सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	अन्यत्र भूखण्ड आवंटन के संबंध मे।	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल भूखण्ड संख्या 234 (30 x 60 बनाप 167.22 वर्गगज) सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन

नगर विकास न्यास/ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 10.10.1988 को भूखण्ड संख्या 234 (30 X 60 बनाप 167.22 वर्गगज) सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना में श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल को आंवटन किया गया। श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना की एवज में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की है।

भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर डी किर्ती नगर जोधपुर का आवंटन श्री नरेन्द्र सिंह को कर दिनांक 16.5.1989 को लाईसेंस जारी किया गया था। परन्तु कब्जा नही दिया जा सका क्योकि इस भूखण्ड पर अन्य का कब्जा था एवं कच्ची बस्ती नियमन के तहत पट्टा भी जारी है एवं पजीबद्ध है। नगर निगम जोधपुर द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 3.7.2018 के अनुसार किर्ती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड हेतु उपलब्ध नही है।

विधि शाखा की रिपोट अनुसार याचिका संख्या 11792/10 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तथा तीन अन्य याचिकाओ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2017 के क्रम में नगर निगम जोधपुर एवं जेडीए के अधिकारियो की बैठक दिनांक 13.11.2017 में सयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया गया था। सयुंक्त परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 26.3.2018 में इस प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि याची को जेडीए के द्वारा अपनी किसी योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जावे। उक्त प्रार्थी की याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3074/2015 नरेन्द्र सिंह बनाम जेडीए व अन्य भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.11.2017 के बिन्दू संख्या 4 के अनुसार ऐसे प्रकरणो में कार्य समिति में रखकर वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये है।

प्रार्थी द्वारा सुन्दर सिंह भण्डारी नगर में भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। सुन्दर सिंह भण्डारी योजना में वर्तमान में (30 X 64 बनाप 213.33 वर्गगज) रिक्त भूखण्ड उपलब्ध है। नगर निगम से प्राप्त सूचना अनुसार प्रार्थी को कही भी वैकल्पिक भूखण्ड नही दिया गया है।

अतः भूखण्ड संख्या 234 (30 X 60 बनाप 167.22 वर्गगज) सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना की एवंज में अन्य भूखण्ड सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में समतुल्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 234 (30 X 60 बनाप 167.22 वर्गगज) सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना के एवंज में अन्य समतुल्य भूखण्ड सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 में नागरिक सुरक्षा केन्द्र को कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 में नागरिक सुरक्षा केन्द्र को कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु 5 बीघा। JDA/FTS/96903	ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 में नागरिक सुरक्षा केन्द्र को कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 रकबा 1980.03 बीघा गै मु मंगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के प्रतिनिधि के साथ मौका देखा गया। पूर्व में इन्ही खसरो में आईटीबीपी, आईबी, आरटीसी जोधपुर, एमएचए भारत सरकार, होम गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर व केन्द्रीय विद्यालय को आवंटित व प्रस्तावित है तथा आवंटित भूमियो के मौके पर मुटाम नही लगे है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग MDP –2031 के अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आरक्षित है। MDP –2031 की मिक्स लैण्डयुज की डीसीआर अनुसार 18 एम अधिक मार्गाधिकार पर और Institute अनुज्ञेय है। विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना का दिनांक 28.1.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है।

अतः ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 में नागरिक सुविधा केन्द्र को कार्यलय प्रयोजनार्थ हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवान हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि नियमानुसार आवेदक संस्था को 5000 वर्ग मीटर भूमि ही आवंटित की जा सकती है जबकि आवेदक सस्था द्वारा 5 बीघा (8,000 वर्ग मीटर) भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार ग्राम पालड़ी खीचियान के खसरा सं 93 में नागरिक सुविधा केन्द्र को कार्यालय प्रयोजनार्थ 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा एवं अतिरिक्त भूमि आवंटन किये जाने के औचित्य के साथ प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 35 में सामुदायिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 35 में सामुदायिक श्मशान हेतु। JDA/FTS/105271	ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 35 में सामुदायिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 35 में सामुदायिक श्मशान हेतु रकबा 8.5754 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर मे से 5 बीघा भूमि की मांग की है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि आवश्यकतानुसार मौके पर रिक्त पड़ी हैं।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 35 का भू–उपयोग MDP –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है। MDP –2031 की Rural area की डीसीआर में पशु चिकित्सालय का उल्लेख नही है साथ ही Public utilities are permissiobel on all roads after approval from competent anthority परन्तु Rural area में Goverment utilites का उल्लेख नही है।

MDP –2031 की पुस्तिका के बि.स. 5.6.5 के अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रस्तिान स्थलो को यथावत रखा जाएगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओ हेतु उपयुक्त स्थलो का चयन कर नगरीय क्षेत्र 1 नगरीय क्षेत्र 2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेंगें।

विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना का दिनांक 2.2.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है।

अतः भूमि नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत सामुदायिक श्मशान हेतु 3000 व.मी. भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। अतः ग्राम बोड़वी खुर्द पंचायत समिति बावड़ी के खसरा सं 35 में आवेदित भूमि आवंटित करने हेतु प्रकरण प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार सामुदायिक शमशान हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 58 में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) फुट भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 58 में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु। JDA/FTS/105271	ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 58 में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) फुट भूमि आवंटन बाबत।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 58 में रकबा 1.0760 किस्म गै.मु. लाटा जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) फुट चाहा गया है। जो मौके पर भूमि उपलब्ध है, उक्त भूमि आवश्यकतानुसार मौके पर रिक्त पड़ी हैं। आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 58 का भू–उपयोग MDP –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है। MDP –2031 की Rural area की डीसीआर में पशु चिकित्सालय का उल्लेख नही है साथ ही Public utilities are permissiobel on all roads after approval from competent anthority परन्तु Rural area में Goverment utilites का उल्लेख नही है।

MDP –2031 की पुस्तिका के बि.स. 5.6.5 के अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलो को यथावत रखा जाएगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओ हेतु उपयुक्त स्थलो का चयन कर नगरीय क्षेत्र 1 नगरीय क्षेत्र 2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेंगें।

विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना का दिनांक 2.2.2022 को प्रकाशित करवा दी गई है।

अतः भूमि नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत ग्राम बोड़वी खुर्द प.स. बावड़ी के खसरा सं 58 में सामुदायिक श्मशान हेतु प्रकरण 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) भूमि आवंटन करने हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–उत्तर से अवगत कराया कि प्रस्ताव के अन्तिम पैरा में त्रुटिवंश "खसरा सं 58 में सामुदायिक श्मशान हेतु प्रकरण 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) भूमि आवंटन" अंकित हो गया है जो वास्तव में "खसरा सं 58 में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु 100 X 100 फुट (929 वर्गमीटर) भूमि आवंटन" होना चाहिए। अतः उक्त संशोधन अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लिया जावे। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि आवंटन नीति के अन्तर्गत पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु स्थानीय स्तर पर 500 वर्ग मीटर भूमि ही निःशुल्क आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार खसरा सं 58 में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु 100 फीट गुणा 100 फीट भवन निर्माण की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/3 से 188/5 रकबा 12 बीघा भूमि के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	आवेदित भूमि तक रास्ता प्राधिकरण की भूमि मे से उपलब्ध होने के संबंध में।	ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/3 से 188/5 रकबा 12 बीघा भूमि के संबंध में।

आवेदक श्रीमती पिस्ता देवी पत्नि श्री भंवरलाल, श्रीमती मीमा देवी पत्नि श्री पुखराज एवं श्रीमती चम्पा देवी पत्नि श्री बालुराम निवासी–आंगणवा मण्डोर जोधपुर द्वारा 90–क नियमन के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/3 से 188/5 रकबा 12 बीघा भूमि का आवेदन किया गया। प्रकरण मे भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत निर्णय दिनांक 28/12/2021 को किया जाकर भूमि प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जा चुकी हैं। प्रकरण मे श्री उम्मेदाराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उक्त भूमि को पहुंच मार्ग प्राधिकरण की भूमि मे से उपलब्ध हो रहा है। इस संबंध मे प्रकरण मे जोन पटवारी/भू.अ. निरीक्षक से जांच रिपोर्ट ली गयी, उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा मानचित्र अनुसार खसरा संख्या 95, 96, 97, 99 व 104, 105, 187, 187/1 की गैर अनुमोदित आवासीय योजनाओं के पश्चात् अनुमोदित ले–आउट प्लान खसरा संख्या 188/1, 188/11, 188/2, 188/10 तक खसरा संख्या 98 की प्राधिकरण की भूमि मे रास्ता लिया गया है जिसका खसरा मानचित्र अनुसार लम्बाई 1380 फीट है। खसरा मानचित्र की प्रति पर प्रस्तावित रास्ते का अंकन किया गया है जिसकी प्रतिलिपी भी संलग्न है। जिसके अनुसार खसरा संख्या 98 की कुल भूमि मे से 60 गुणा 1380 फीट अर्थात् 4.15 बीघा भूमि का रास्ते हेतु राशि प्राधिकरण कोष मे जमा हो चुकी है जमा राशि की रसीद की प्रति पत्रावली मे संलग्न है। उक्त रास्ते की भूमि तथा खसरा संख्या 189/2 (राजस्व रेकर्ड मे समर्पितसुदा) भूमि के मध्य 139 फीट भूमि खसरा संख्या 98 ग्राम आंगणवा की भूमि स्थित है तथा मौके पर सडक निर्मित है। प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है। इस संबंध मे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 591 दिनांक 03/02/2022 को सूचित किया गया था, जिसके संबंध मे प्रार्थी जरिये अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09/02/2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण की भूमि मे से रास्ते के एवज मे नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण मे प्राधिकरण की ले–आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 15/02/2022 के एजेण्डा संख्या 4 मे लिये गये निर्णय अनुसार उक्त खसरा संख्या 98 की 139 फीट भूमि को रास्ते हेतु घोषित किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मे निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि 90–ए के आदेश व ले–आऊट प्लान अनुमोदन में रास्ते के संबंध में अंकित तथ्यों में भिन्नता है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब 90–ए का आदेश पारित करते समय मौके पर रास्ता उपलब्ध था तो अब अलग से रास्ता आवंटन किये जाने की आवश्यकता क्यों है। इन बिन्दुओं पर प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: ग्राम पंचायत फींच के खसरा संख्या 408 किस्म गै.मु. गोचर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत फींच के खसरा संख्या 408 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 किस्म गै.मु. गोचर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम फींच के खसरा सख्या 408 रकबा 87.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 408 ग्राम फींच का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध पीडब्ल्यूडी से प्राप्त डेटा अनुसार ग्रामीण रोड़ 100' रोड़ पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान डीसीआर अनुसार ग्रामीण एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पृथक से उल्लेख नहीं है, पब्लिक यूटिलिटीज को On all roads after approval from Competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 408 ग्राम फींच की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 1177 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 रकबा 87.17 बीघा में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 रकबा 87.17 बीघा में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 295 में जनजाति आवासीय विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ 06 से 08 हैक्टेयर निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 295 में जनजाति आवासीय विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ 06 से 08 हैक्टेयर निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 295 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 36.5827 हैक्टेयर में से 06 से 08 हैक्टेयर भूमि जनजाति आवासीय विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा सख्या 295 रकबा 36.5827 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 295 ग्राम मोगड़ाखुर्द का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के अनुसार मिक्सड लैण्डयूज, यू–2, रोड़ रॉ, प्लांटेशन बेल्ट, एमडीपी सर्कल में स्थित है। उक्त खसरा मुख्य जोधपुर–पाली रोड़ पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार एमडीपी अनुसार 200 फीट, 100'–100' वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। डीसीआर अनुसार मिक्सड लैण्डयूज व यू–2 में विद्यालय अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 295, 142 राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द की भूमि से संबंधित वाद संख्या 8230/2018 जयदेव वगैरा वर्सेज जेडीए वगैरा न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान लंबित है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 295 रकबा 36.5827 हैक्टेयर में से जनजाति आवासीय विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ 6 से 8 हैक्टेयर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 295 रकबा 36.5827 हैक्टेयर में से नियमानुसार जनजाति आवासीय विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ 20,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में **आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय

डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 760 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 किस्म गै.मु. गोचर में से आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा भूमि किस्म गै.मु. गोचर में से आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय प्रयोजनार्थ नियमानुसार 500 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: ग्राम पंचायत तनावड़ा के खसरा संख्या 136 रकबा 89.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाटियों की ढाणी को भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत तनावड़ा के खसरा संख्या 136 रकबा 89.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाटियों की ढाणी को भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति लूणी जोधपुर एवं उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–स में आवेदन पेश कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाटियों की ढाणी ग्राम पंचायत तनावड़ा के खसरा नं. 136 रकबा 89.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि में से निर्मित विद्यालय भवन एवं खेल–कूद मैदान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत तनावड़ा के भाटियों की ढाणी के खसरा नं. 136 रकबा 89.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर विद्यालय निर्मित एवं संचालित पाया गया है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत तनावड़ा (भाटियों की ढाणी) का खसरा नं. 136 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। आवासीय श्रेणी में विद्यालय प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय नही है। जिसके संदर्भ में भू–उपयोग परिवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2021 को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जा चुका है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 794 दिनांक 06.03.2018 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 136 रकबा 89.16 किस्म बारानी चतुर्थ में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के सर्व सम्मति से राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 136 रकबा 89.16 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ प्राधिकरण की अधिकारिता सीमा 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लेते हुए मांग की गई शेष भूमि के आवंटन के औचित्य के साथ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य प्रबंधक दि जोधपुर सैन्ट्रल कॉ–ऑप. बैक लि. प्रधान कार्यालय जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **ग्राम सेवा सहकारी समिति** प्रयोजनार्थ 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार जेडीपी में प्रस्तावित नवीन फेसिलिटी एरिया में स्थित है। आवेदित भूमि जोनल प्लान की 30 मीटर सड़क पर स्थित है। उक्त के क्रम में भू–उपयोग अनुसार सेवा सहकार समिति के गोदाम निर्माण के संबंध में किसानों की सुविधा हेतु राजकीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय बताया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1194 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 किस्म गै.मु. गोचर में से ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रयोजनार्थ 1500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रभावी नियमों के अन्तर्गत आवेदक संस्था को निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। अतः आवेदक संस्था को तद्नुसार सूचित करते हुए आवेदक संस्था से नियमानुसार सशुल्क आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 किस्म गै.मु. गोचर में से शहीद राजूराम स्मारक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 किस्म गै.मु. गोचर में से शहीद राजूराम स्मारक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति धवा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 रकबा 87.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **शहीद राजूराम स्मारक** प्रयोजनार्थ 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 रकबा 87.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 408 ग्राम फींच का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटीज को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 408 ग्राम फींच की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम फींच के खसरा संख्या 408 रकबा 87.17 किस्म गै.मु. गोचर में से शहीद राजूराम स्मारक प्रयोजनार्थ 04 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में काफी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर संपूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 37 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **उपस्वास्थ्य केन्द्र** प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रक़बा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट और पब्लिक यूटिलिटीज को सभी सड़को पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 763 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपस्वास्थ्य भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 किस्म गै.मु. गोचर में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा भूमि में से उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 38 :: मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ का जोन चिन्हिकरण बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ का जोन चिन्हिकरण बाबत्।

प्राधिकरण में आईसीडी (इनलेण्ड कन्टेनर डिपों) के विस्तारिकरण हेतु सालावास रेल्वे स्टेशन के समीप राजसी को द्वारा भूमि आंवटन की मांग की गयी है। साथ ही उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नवीन भण्डार गृह निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गयी है। उक्त के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर उपायुक्त दक्षिण द्वारा राजकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर खसरा संख्या 218 राजस्व ग्राम तनावडा में आवंटन हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। खसरा संख्या 218 के पास ही प्राधिकरण की भूमि खसरा संख्या 183 व 189 में भी उपलब्ध है, राजसी को व केन्द्रीय भण्डार निगम के प्रस्तावों के दृष्टिगत इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ योजना बनाई जा सकती है।वर्तमान में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डी.सी.आर अनुसार अज्वलनशील गोदाम को 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार सामान्य वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग को मास्टर प्लान के प्रतिबधित भू–उपयोग को छोडकर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किया गया है व समस्त नगर निकाय द्वारा उक्तानुसार प्रभावी मास्टरप्लान में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन का चिन्हिकरण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में जोन से प्राप्त राजकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर खसरा संख्या 218, 189, 183 का भागराज स्वग्राम तनावडा में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसर है।

पूर्व दिशा :–नवीन प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 219 (राजस्व ग्राम तनावडा)
पश्चिम :–नवीन प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 188 व 183 का भाग
(राजस्व ग्राम तनावडा)

उत्तर दिशा :–जोजरी नदी के साथ प्रस्तावित 18 मीटर सडक एंव भाकरासनी गांव से सालावास जाने वाली 30 मीटर सडक
दक्षिण दिशा :–प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 190, 191, 192, 193 व 217 (राजस्व ग्राम तनावडा)
कुल क्षेत्रफल (गूगल मानचित्र अनुसार) 24 हैO

प्रस्तावित जोन के समीपीय प्रस्तावित जोन की बाहरी सीमाओं पर सुगम यातायात व आवासीय क्षैत्र से बफर हेतु 24 मीटर सडक प्रस्तावित की गयी है। निजी भूमि धारकों से भी वेयर हाउस/गोदाम के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाकर व उचित प्रस्तावों का समायोजन जोन में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त जोन के उत्तर दिशा में भाकरासनी सालावास 30 मीटर सडक व पश्चिम दिशा में मास्टर प्लान की तनावडा फांटा जाने वाली 30 मीटर सडक पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगवायी जानी प्रस्तावित है।

जोन चिन्हीकरण हेतु प्रस्ताव पर आमजन से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 39 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप बोलेरो /एस.यु.वी कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति सहित संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप बोलेरो /एस.यु.वी की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति सहित संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति सहित संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन कि प्रत्याशा में स्वीकृत कि गई है। अतः अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति के अनुमोदन कि अनुशंषा कि जाती है।

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2020–21 में दो वर्ष की वार्षिक दर संविदा हेतु राशि रू 200.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.10.2020 में अनुमोदन पश्चात निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा आदेश क्रमांक 1766 दिनांक 14.10.2020 द्वारा जारी की गई। नियमानुसार निविदा जारी कर न्युनतम दर दाता मैसर्स मनीराम चौधरी को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 335–342 दिनांक 21.01.2021 द्वारा दो वर्ष हेतु कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्य हेतु माह मार्च 2022 तक राशि रू 189.58 लाख का व्यय हो चुका है तथा वार्षिक दर संविदा की समयावधि दिनांक 31.01.2023 तक है। प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति राशि रू 200.00 लाख के विरूद्व राशि रू 189.58 लाख का व्यय हो चुका है तथा शेष 10 माह हेतु लगभग राशि रू 140.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति आवश्यकता होगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73(2)(ख) के प्रावधान अनुसार माल एंव सेवाओ के मुल्य का 50 प्रतिशत तक आदेश की सीमा बढाई जा सकती है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रचलित एस.ओ.पी पार्ट 2 के आईटम सं. 1 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक राशि की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति सक्षम है। उक्त कार्य में नियमित भुगतान में बाधा ना हो इस हेतु श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पैरा सं. 265 दिनांक 05.04.2022 को कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन कराने की प्रत्याशा में राशि रू 100.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति सहित राशि रू 300.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है

अतः कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति राशि रू 100.00 लाख सहित कुल 300.00 लाख संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 40 :: जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानो पर पेवर से डामरीकरण का कार्य की संशोधित कार्योतर प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानो पर पेवर से डामरीकरण का कार्य की संशोधित कार्योतर प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।	उक्त कार्य में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अधिक कार्य (Excess Item) राशि रू 13.00 लाख सहित संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली पर दी गई लेकिन निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी नही की गई। अतः निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने की कार्योतर स्वीकृति की अनुशंषा कि जाती है।

प्राधिकरण में जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानो पर पेवर से डामरीकरण का कार्य हेतु निदेशक अभियांत्रिकी के आदेश क्रमांक 1055–58 दिनांक 30.10.2012 द्वारा राशि रू 24.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई थी। निविदा प्रक्रिया पश्चात न्यूनतम दर दाता मैसर्स रामसिंह सांखला को 16.11 प्रतिशत अधिक (Above) राशि रू 26,65,972/– का कार्यादेश जारी किया गया। पत्रावली के पैरा सं. 28 दिनांक 29.10.2012 द्वारा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रू 13.00 लाख अधिक/ अतिरिक्त (Excess/Extra) सहित राशि रू 37.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति प्रस्तावित की गई। तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी अनुसार पत्रावली के पैरा सं. 41 दिनांक 11.12.2012 द्वारा तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा राशि रू 13.00 लाख की अधिक आईटम सहित राशि रू 37.0 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई। लेकिन निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी नही की गई। उक्त कार्य में वास्तविक रूप से करवाये गये अधिक कार्य (Excess) राशि रू 1127858.50 जो की कार्यादेश का 42.31 प्रतिशत कार्यकारी समिति की बैठक 07.04.2021 के प्रस्ताव सं. 37 (2) के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

उक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति तत्कालीन आयुक्त महोदय के अनुमोदन पश्चात निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी नही करने के फलस्वरूप आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पैरा सं. 76 दिनांक 17.09.2021 में कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्य की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी करने हेतु कार्योतर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10. 2021 के प्रस्ताव सं. 3 अनुसार प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्यकारी समिति द्वारा प्रकरण का निदेशक वित से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में रखने हेतु निर्णय किया गया। प्रकरण का परीक्षण निदेशक वित से करवा लिया गया है।

अतः राशि रू 37.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी करने की कार्योतर स्वीकृति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 37.00 लाख रूपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 41 :: Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of RCC Sewer system & all accessories works, UPVC pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Bera) कार्य के अन्तिम समयावधि वृद्वि के अनुमोदन बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of RCC Sewer system & all accessories works, UPVC pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Bera) कार्य के अन्तिम समयावधि वृद्वि के अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यादेश क्रमांक F38(06)EE-North RoB/2012-13/666 दिनांक 28.06.2012 द्वारा मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया को Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of RCC Sewer system & all accessories works, UPVC pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Bera). Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of RCC Sewer system & all accessories works, UPVC pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Bera). का कार्य राशि रू 29,38,93,734/- का आवंटित किया गया था तथा अन्तिम बिल तक राशि रू 23,58,80,584/- का कार्य सम्पादित किया गया। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की दिनांक क्रमशः 07.07.2012 व 06.07.2014 थी तथा वास्तविक रूप से कार्य दिनांक 05.09.2020 को पूर्ण किया गया।

सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य का अन्तिम समयावधि प्रकरण निर्धारित प्रारूप मे तैयार कर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत संलग्न अन्तिम समयावधि प्रकरण अनुसार कार्य हेतु कुल 730 दिन आवंटित थे वास्तविक रूप से कार्य कुल 2983 दिन में सम्पन्न किया गया। संलग्न अन्तिम समयावधि प्रकरण अनुसार कुल 2254 दिन (2983–730) कार्य में विलम्ब का विवरण/बाधा (hindrance) पृष्ठ सं. 8 से 13 में उल्लेखित है। उक्त विलम्ब हेतु संवेदक दोषी नही होने के कारण सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा बिना शास्ति के दिनांक 05.09.2020 तक अन्तिम समयावधि स्वीकृति की अनुशंषा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में कार्यादेश दिनांक 28.06.2012 को आवंटित किया गया था। तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी के आईटम सं. 25 अनुसार कार्य में अगर मुल्य विचलन (Price Escalation) का भुगतान सम्मिलित नही हो तो एस.ओ.पी के आईटम सं. 9 में उल्लेखित कमेटी की अनुशंषा पर आयुक्त महोदय अन्तिम समयावधि स्वीकृति हेतु सक्षम है। उक्त प्रकरण में मुल्य विचलन (Price Escalation) का भुगतान संवेदक को नही करने तथा इस आशय का शपथ पत्र संवेदक द्वारा प्रस्तुत कर देने के फलस्वरूप निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित, एंव सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि वृद्वि स्वीकृति की अनुशंषा सहित प्रकरण आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया।

कमेटी की अनुशंषा पर आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पैरा सं. 12 दिनांक 27.12.2021 को अन्तिम समयावधि वृद्वि प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में " Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of RCC Sewer system & all accessories works, UPVC pipes including

Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Bera). कार्य का अन्तिम समयावधि वृद्वि प्रकरण दिनांक 05.09.2020 तक बिना शास्ति के स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 42 :: प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य की एकल निविदा और प्रस्तुत दरो के अनुमोदन हेतु।

प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य की एकल निविदा और प्रस्तुत दरो को कार्यकारी समिति (EC) की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र.सं	आईटम का विवरण	मात्रा	युनिट	स्वीकृत दर
01	फोटो कॉपी का कार्य			
02	B/W दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
03	A4 size	1.00	Each	0.50
04	A3 size	1.00	Each	0.36
05	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.50
06	B/W दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
07	A4 size	1.00	Each	0.60
08	A3 size	1.00	Each	0.36
09	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.60
10	Colour दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
11	A4 size	1.00	Each	4.00
12	A3 size	1.00	Each	4.00
13	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
14	Colour दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
15	A4 size	1.00	Each	4.00
16	A3 size	1.00	Each	4.00
17	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
18	पेनड्राईव से B/W दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
19	A4 size	1.00	Each	4.00
20	A3 size	1.00	Each	4.00
21	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
22	पेनड्राईव से B/W दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
23	A4 size	1.00	Each	4.00
24	A3 size	1.00	Each	4.00
25	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
26	पेनड्राईव से Colour दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
27	A4 size	1.00	Each	4.00

28	A3 size	1.00	Each	4.00
29	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
30	पेनड्राईव से Colour दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
31	A4 size	1.00	Each	4.00
32	A3 size	1.00	Each	4.00
33	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.00
34	स्पारयल बाईडिंग करने का कार्य			
35	Up to 50 Page (A4Size)	1.00	Each	4.00
36	Up to 100 Page (A4Size)	1.00	Each	4.00
37	More than 100 Page (A4Size)	1.00	Each	4.00
38	Up to 50 Page (FS Size)	1.00	Each	4.00
39	Up to 100 Page (FS Size)	1.00	Each	4.00
40	More than 100 Page (FS Size)	1.00	Each	4.00

अतः एकल निविदा और प्रस्तुत दरो को कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए एकल निविदा एवं प्रस्तुत दरों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 43 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे Construction of Approach Road for Vinoba Bhave Nagar Yojana K. no. 28 Village Chowkha की समयावधि बढाने की स्वीकृति के संबंध में।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य को पूर्ण करने की दिनांक 23.07.2021 थी, लेकिन कार्य दिनांक 19.10.2021 को पूर्ण हुआ है। पत्रावली के पैरा संख्या 96/N में सक्षम कमेटी द्वारा कार्य की समयावधि दिनांक 19.10.2021 तक बिना शास्ति के बढा दी गई है। इस कार्य का अन्तिम विपत्र प्रस्तुत हो चुका है, साथ ही संवेदक मैसर्स प्रीतम कन्स. कम्पनी जोधपुर द्वारा इस कार्य का Price Esclation का 1^{st} & Finall bill राशी 4386910.72 रू. का प्रस्तुत किया है। Price Esclation का बिल प्रस्तुत किये जाने के कारण सक्षम कमेटी के निर्णय अनुसार इस कार्य की समयावधि बिना शास्ति के दिनांक 19.10.2021 तक बढाने का अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर कार्यकारी समिति के सक्षम प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते प्रस्तावानुसार कार्य की समयावधि बिना शास्ति के दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 तक बढाने अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 44 :: **Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc.की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का अनुमोदन हेतु।**

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc.की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का अनुमोदन हेतु।

Renovation of Existing building of Jai narayan vyas town hall, Jodhpur including all additions and alterations in civil work, Electrical work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc. की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 1150 लाख की कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई थी।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 1150 लाख का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 45 :: **Consultancy work for Preparation of Detail Project Report for Multilevel parking and traffic control office building at New Sadak, Sojati Gate, Jodhpur की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, प्राप्त दरो एवं कार्यादेश का अनुमोदन हेतु**

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Consultancy work for Preparation of Detail Project Report for Multilevel parking and traffic control office building at New Sadak, Sojati Gate, Jodhpur **की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, प्राप्त दरो एवं कार्यादेश का अनुमोदन हेतु**

Consultancy work for Preparation of Detail Project Report for Multilevel parking and traffic control office building at New Sadak, Sojati Gate, Jodhpur की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू 100.00 लाख कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई थी। कार्य के लिये आमंत्रित ईओआई में एकल ईओआई प्राप्त हुई थी जिसमें तकनीकी मुल्याकंन पश्चात मैसर्स प्रमोद जैन एण्ड एसोसियेट की वितिय बिड खोली गई। वितीय बिड में प्रस्तुत दरो के लिये नेगोशियेशन जारी किया गया। फर्म द्वारा नेगोशियेशन में प्रस्तुत राशि रू. 9750000/– सभी कर सहित स्वीकृत की गई तथा कार्यादेश जारी किया गया

अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, नेगोशियेशन में प्रस्तुत राशि रू. 9750000/— तथा जारी कार्यादेश के प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 46 :: Supply & fixing of tip up chairs in vip seating of barkatullah khan Stadium, Jodhpur. की दरो एवं कार्यादेश का अनुमोदन हेतु

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Supply & fixing of tip up chairs in vip seating of barkatullah khan Stadium, Jodhpur. की दरो एवं कार्यादेश का अनुमोदन हेतु

Supply & fixing of tip up chairs in vip seating of barkatullah khan Stadium, Jodhpur में ABP Seats द्वारा नेगोशियेशन में प्रस्तुत दरे रू. 4200/— प्रति चेयर उपापन कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत दरो के अनुसार कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्य की प्रकृति Supply and fixing की है।

अतः नेगोशियेशन दरो रू. 4200/— प्रति चेयर एवं कुल कार्यादेश राशि रू. 9660000/— का जारी कार्यादेश प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 47 :: माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी करने हेतु श्री आयुष गहलोत को पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु इनका विवरण निम्नानुसार है :—

नाम : श्री आयुष गहलोत
पता : 84/सी, नरसिंह विहार, लाल सागर, जोधपुर
पंजीयन संख्या : आर/732/2017
मो.नं. : 9502825704

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :—

पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :—

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर — प्रति प्रकरण 7,000/—मात्र
2. अन्य खर्चे :— माननीय राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

शर्ते :—

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।

2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।
3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उपरोक्तानुसार श्री आयुष गहलोत, अधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्री आयुष गहलोत, अधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 48 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पैरवी हेतु श्री कपिल पुरोहित पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश कमांक F–42/विधि/जेडीए/2022/2010–2016 दिनांक 04.02.2022 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री कपिल पुरोहित
पता : सी 20, शास्त्री नगर, एम.डी.एम. हॉस्पीटल के सामने, जोधपुर
पंजीयन संख्या : आर/323/2013
मो.नं. : 7665500000

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :–

<u>पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे</u> :–

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 7,000/–मात्र
2. अन्य खर्चे :– राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

<u>शर्ते</u> :–

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के

पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उक्तानुसार श्री कपिल पुरोहित, अधिवक्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री कपिल पुरोहित, अधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 49 :: माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु श्री आनन्द शंकर पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश कमांक F-42/विधि/जेडीए/2021/2250-2251 दिनांक 04.03.2022 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :-
नाम : श्री आनन्द शंकर
पता : SRB-122 D,SHIPRA RIVEIRA, GYANKHAND-III, INDIRAPURAM, U.P.-201014
पंजीयन संख्या : डी/1733/2004
मो.नं. : 9810916302
खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :-

पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :-
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु फीस एवं अन्य खर्चो का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।
शर्ते :-

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।

4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उक्तानुसार श्री आनन्द शंकर, अधिवक्ता को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री आनन्द शंकर, अधिवक्ता को उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 50 :: डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 15150/2021 भंवर सिंह बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल को विशेष फीस के रूप में 5–5 लाख रूपये के भुगतान बाबत प्रस्ताव।

डी.बी. जनहित याचिका संख्या 15150/2021 भंवर सिंह बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किए गए थे। उनके द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल के द्वारा पैरवी की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल के द्वारा प्रकरण में राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– प्रस्तुत किया गया है।

अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– रूपये के स्वीकृति प्रस्ताव को अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 51 :: डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 13782/2021 रोशन व्यास बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल को विशेष फीस के रूप में 5–5 लाख रूपये के भुगतान बाबत प्रस्ताव।

डी.बी. जनहित याचिका संख्या 13782/2021 रोशन व्यास बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किये गए थे। उनके द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पूर्व में नगरीय विकास विभाग की ओर से तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री रेखा बोराणा नियुक्त थी। उनके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात् इस प्रकरण में राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल के द्वारा पैरवी की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल के द्वारा प्रकरण में राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– प्रस्तुत किया गया है।

अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रूपये 5,00,000/– रूपये के स्वीकृति प्रस्ताव को अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 52 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्डों को शिफ्ट करने के संबंध में।

क्रं.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप के रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 24 से 27, 158 से 168, 197 से 199, 201 से 206 व 152 सेक्टर ए में मौके पर पुराने अतिक्रमण होने के कारण उक्त भूखण्डों का कब्जा दिया जाना संभव नही है तथा मास्टर प्लान की 160 फीट रोड से प्रभावित कुल 26 भूखण्ड है। मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप के रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावति है।

प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 24 से 27, 158 से 168, 197 से 199, 201 से 206 व 152 सेक्टर ए में मौके पर पुराने अतिक्रमण होने के कारण उक्त भूखण्डों का कब्जा दिया जाना संभव नहीं है तथा मास्टर प्लान की 160 फिट रोड से प्रभावित कुल 26 भूखण्ड है। उक्त भूखण्डों के आवंटियों द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत भूखण्ड के एवज में इसी योजना मे समान माप का रिक्त भूखण्डा आवंटन करने का निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 17.08.2021 में मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना का मानचित्र. संशोधित कर कुल 43 भूखण्ड नवसृजित किये गये तथा 8 पूर्व में रिक्त है। अतः उक्त योजना मे वर्तमान मे संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप को रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना उचित होगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स	अतिक्रमित भूखण्डों की संख्या जिन पर कब्जा कर रखा है।	रोड की चौडाई कम करने पर कितने भूखण्ड प्रभावित हो रहे उनकी संख्या	रिक्त भूखण्डों की आवश्कता	संशोधित मानचित्रानुसार रिक्त भूखण्डों की संख्या उपलब्ध है।
01	24	26	50	51

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार रिक्त भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 53 :: श्रीमति सुमन पत्नि श्री राजेश आवास संख्या L20-03 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 चौखा के बदले अन्य आवास संख्या आवंटन करने के बाबत् ।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/52837	आवास के बदले अन्य अन्य आवास आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी सुमन हरिजन पत्नि श्री राजेश को कार्यालय दिनांक 14.07.2011 को लॉटरी के जरिये आवास संख्या L20-03 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 **चौखा** में क्षैत्रफल 500 वर्गमीटर का आवास आवंटित किया गया । प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि मौके पर फ्लैट की जगह दुकान बनी हुई है। कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर फ्लैट की जगह दुकान बनी हुई है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पत्रावली में की गयी मौका रिपोर्ट अनुसार आवास संख्या L31-01 की स्थिति ठीक बतायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा प्राथीर्नी को पत्रांक 650 व दिनांक 29/10/2021 को रिक्त आवासों की सुची संलग्न कर भिजवायी गई थी। प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर रिक्त आवास की सूची में से आवास संख्या L31-01 आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। आवंटी द्वारा आवास के पेटे मुल राशि जमा करवा दी गई थी। प्रार्थीनी को आवास संख्या L31-01 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 **चौखा** में क्षैत्रफल 500 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य आवास आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 54 :: प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.10.2014 के प्रस्ताव संख्या–12 में कार्यों की भौतिक प्रगति व सत्यापन हेतु कमेटी गठन पश्चात् कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्प्णीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/107480)	प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.10.2014 के प्रस्ताव संख्या–12 में कार्यों की भौतिक प्रगति व सत्यापन हेतु कमेटी गठन पश्चात् कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति का प्रस्ताव।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति दिनांक 22/10/2014 में प्रस्ताव संख्या–12 में गत बैठक दिनांक 04/08/2014 में जिन कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त की गयी थी, उनमें से जिन कार्यों का अंतिम बिल बनाया जाना शेष था, उन सभी कार्यों की पुनः संशोधित स्वीकृति तक सीमित करने हेतु कार्यों की भौतिक प्रगति एवं सत्यापन हेतु अधिशाषी / सहायक / कनिष्ठ अभियंता कमेटी का गठन किया गया एवं रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

कमेटी रिपोर्ट में वर्णित कार्यों का प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन एवं संशोधित प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	मूल प्रशा एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कमेटी की रिपोर्ट अनुसार संशोधित प्रशा. एवं वितीय स्वीकृति आवश्यक (लाखों में)	राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा बताया गया कुल व्यय(लाखों में)	कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल वास्तविक व्यय के आधार पर संशोधित स्वीकृति वांछित (लाखों में)
1.	सांसी बस्ती रातानाडा में स्कूल के ऊपरी मंजिल पर कमरों का निर्माण कार्य।	37.00	54.10	73.40	73.40	**73.40**
2.	मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर में हरिजन समाज शमशान में टीन शेड व हॉल निर्माण कार्य।	15.50	14.09	17.10	16.57	**16.57**
3.	सैनिक क्षत्रिय माली समाज के स्वर्गाश्रम मदेरणा कॉलानी अन्नासागर में हॉल चार दिवारी गेट इत्यादि का निर्माण कार्य।	16.30	15.42	18.60	13.63	**13.63**
4.	रा.उ.मा.वि. मण्डोर नं. 1 में दो कक्षा कक्षों में बरामदा तथा झुले लगाने का कार्य।	10.00	11.84	20.00	20.15	**20.15**
5.	महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास माता का थान पूंजला में विकास कार्य (विधायक कोष)	10.00	10.59	19.50	19.43	**19.43**
6.	सावित्री फूले हर्बल पार्क में विकास कार्य।	24.00	20.70	47.50	38.51	**38.51**

7.	सैनिक क्षत्रिय माली समाज शमशान माता का थान में दिवार ऊंची करने व अन्य विकास कार्य।	50.00	46.37	97.50	87.38	87.38
8.	मामा नाडी पार्क में विकास कार्य।	45.00	38.75	89.50	47.97	47.97
9.	बायासा मंदिर में सामुदायिक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य।	24.00	24.09	45.00	39.47	39.47
10.	बेरी गंगा में खेतलाज जी मंदिर में सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य।	44.40	42.43	52.00	46.79	46.79
11.	वैष्णव समाज हनुमान मंदिर जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	22.50	25.57	34.50	34.23	34.23
12.	सांसा बस्ती जाजीवाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.00	27.41	30.50	29.22	29.22
13.	ग्राम पंचायत सालवा कला के शहीद पार्क के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	35.00	40.13	40.00	38.37	38.37

अतः उक्तानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से वास्तविक व्यय के आधार पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 55 :: प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2014 के प्रस्ताव संख्या–6(13) में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जो उपयोग में नहीं आयी, का वास्तविक व्यय तक भुगतान हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/107481)	प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2014 के प्रस्ताव संख्या–6(13) में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जो उपयोग में नहीं आयी, का वास्तविक व्यय तक भुगतान हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 04/08/2014 के प्रस्ताव संख्या 6(13) में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जो उपयोग में नहीं आयी, को निरस्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन कर कुल व्यय बताया है, तथा राज्य सरकार द्वारा भी कुल व्यय के आधार पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त है। अतः वास्तविक व्यय तक भुगतान हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं	कार्य का नाम	प्रशा. एवं वितीय स्वीकृति (लाखों में)	संशोधित प्रशा. एवं वितीय स्वीकृति (लाखों में)	कुल प्रशा. एवं वितीय स्वीकृति (लाखों में)	राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा बताया गया कुल व्यय(लाखों में)	कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल वास्तविक व्यय के आधार पर संशोधित स्वीकृति वांछित (लाखों में)
1.	ठाकुर विरेन्द्र नगर में सड़क निर्माण कार्य।	90.00	203.5	293.50	266.95	266.95
2.	वार्ड 59 में राम नगर, महावीर नगर, तिलक नगर की शेष सड़कों का निर्माण कार्य।	120.00	160.00	280.00	181.91	181.91
3.	अनुसूची जाति जनजाति महिला छात्रावास के सामने नाला कवरिंग एवं चार दीवारी ऊंची करने का कार्य।	45.00	50.85	95.85	90.73	90.73
4.	आसारनाडा रेलवे स्टेशन के पास शहीद प्रतापसिंह बाहरठ सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	38.15	—	38.15	42.20	42.20

अतः उक्तानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से वास्तविक व्यय के आधार पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 56 :: नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक पं.10(1)नविवि/1/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक पं.40(35) सामान्य/2020/3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के प त्रांक प.10(01)नविवि/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 के तहत गैर राजकीय भूमि, अधिक वं अतिरिक्त कार्यो एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गये विकास कार्यो का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कार्यो का कमेटी द्वारा प्रस्तावित भुगतान/व्यय तथा मापपुस्तिका में रेड सील पश्चात इन्द्राज माप के अनुसार प्रस्तुत अंतिम बिल राशि निम्नानुसार है :–

क्र. सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबंध	कमेटी द्वारा प्रस्तुत कुल भुगतान	रेड सील पश्चात माप के अनुसार भुगतान योग्य शेष राशि
01	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	मैसर्स संतोष नारायण सिह/कानसिह	एफ 38 (38) 2012–13	2012511/–	2926882/–

इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत राशि रूपये 62.00 है तथा कुल व्यय की राशि रूपये 49.39 लाख है जो पर्वू में रूपये 31.18 लाख ही बताया गया है।

अतः वास्तविक प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्य की राशि तक रूपये 49.39 लाख की स्वीकृति अपेक्षित है तथा प्रकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को निदेशक–वित्त एवं निदेशक–अभियांत्रिकी से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 57 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

आयुक्त महोदय जोविप्रा एवं जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर–बी में संस्थागत प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भवन विनिमय 2020 अनुसार शैक्षणिक संस्थान को संस्थागत भवन की श्रेणी में दर्शाया गया है। विवेक विहार हेतु पूर्व में बैठक दिनांक 10.04.2019 में ले–आउट प्लान समिति के निर्णयानुसार प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 में उल्लेख अनुसार सुविधा क्षेत्रों हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवश्यकतानुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–बी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण की अवाप्तसुदा भूमि में विकसित एवं अधिसूचित कॉलोनी विवेक विहार योजना के सेक्टर–बी में स्थित है। उक्त भूमि की वर्तमान रिजर्व प्राईज 13,000/– रू. प्रतिवर्गमीटर है इसके आधार पर उक्त भूमि की कीमत 13,000 ग 10,000 त्र 13,00,00,000/– (13 करोड़) रूपये होते है। लेकिन विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–बी में संस्थानिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावित आवंटन के संबंध में 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने तथा विवेक विहार योजना के सेक्टर–बी में संस्थानिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10000 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 58 :: जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में वर्तमान में विकास कार्यो, सामग्री एवं सर्विस हेतु प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) दिनांक 1 मई 2017 को लागू की गई थी इसके पश्चात् वित्त विभाग द्वारा संशोधन किये गये है। उन संशोधन का समावेश एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से संशोधन की आवश्यकता है अतः वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) में आवश्यक संशोधन जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.21 के प्रस्ताव संख्या –13 द्वारा अनुमोदित है। कार्यकारी समिति का निर्णय निम्नानुसार है :–

" बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक वित्त ने अवगत कराया कि प्रचलित (SOP) शक्तियों के प्रत्यायोजन में उपापन समिति में गठन में परिवर्तन प्रस्तावित कर स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को अनुशंषा कमेटी से पृथक किया गया है। साथ ही कार्यकारी समिति की बैठक 06.02.19 एवं 07.03.19 में SOP के Item No - 26,27,29 (iii), 19 किये गये संशोधनो को प्रचलित SOP में समावेश किया गया। Goods & Services के Item की शक्तियों में A&F स्वीकृति, Bid स्वीकृति एवं Bid evaluation committe के गठन का प्रावधान किया गया है।"

"जोधपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत होने पर संबंधित आइटमों में ACE को शक्तियों का भी समावेश किया गया है। Consultancy Services की शक्तियों में परिवर्तन, completion certificate जारी करना, Rate analysis एवं विशिष्ठियों का अनुमोदन करना, बजट प्रावधान का पुनर्नियोजन की शक्तियाँ, Single source Procurement Committee, spot purchase Committee का भी समावेश किया गया। जो आइटम work से संबंधित नहीं उन्हे Goods & Services शीर्षक में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।"

प्राधिकरण बैठक दिनांक 13.04.22 के प्रस्ताव संख्या 04 में हुए विचार विमर्श के अनुसार SOP का पुनः परीक्षण EC के माध्यम पुनः प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किये गये थे अतः परीक्षण उपरान्त SOP कार्यकारी समिति के सक्षम स्वीकृति कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार एस.ओ.पी. को अनुमोदन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 59 :: जयपुर–जैसलमेंर बाईपास पर नवीन हाईकोर्ट परिसर के समीप प्रस्तावित मास्टर प्लान सर्कल बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जयपुर–जैसलमेंर बाईपास पर नवीन हाईकोर्ट परिसर के समीप प्रस्तावित मास्टर प्लान सर्कल बाबत्।

मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 व जोनल डवलपमेंट प्लान में जयपुर–जैसलमेंर बाईपास पर नवीन हाईकोर्ट परिसर के समीप लगभग 140 मीटर व्यास का सर्कल प्रस्तावित है। प्राधिकरण में प्राप्त 90/ए ऑनलाईन प्रकरण संख्या LU/2012/JOD/2021-22/101014 में आवेदित भूमि उक्त सर्कल/सडक मार्गाधिकार से प्रभावित है। आवेदक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सर्कल को हटाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त लोकेशन पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ओवरब्रिज निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। ओवरब्रिज के निर्माण के उपरान्त TRAFFIC CIRCULATION/MOVEMENT की दृष्टि से उक्त प्रस्तावित सर्कल की आवश्यकता/प्रासंगिकता नही होगी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित सर्किल को विलोपित कर जंक्शन के चारों ओर कॉर्नर भूखण्डों में स्लीप लेन हेतु आवश्यक त्रिज्या की गोलाई रखने बाबत् मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रसतुत है। प्रस्तावित संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु जोधपुर अधिनियम 2009 की धारा 25 में विहित प्रकिया अनुसार आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी उचित होगी।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि ऐसे समान प्रकृति के और भी प्रकरण लम्बित हो सकते हैं। एन.एच. बाईपास पर अन्य स्थानों पर फलाईओवर बाबत सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त की जावे। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श समान प्रकृति ऐसे समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर एक साथ परीक्षण कर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 60 :: रामदेवजी का मंदिर घांची समाज मे हॉल मे भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का कार्य रेड सील के पूर्व करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	रामदेवजी का मंदिर घांची समाज मे हॉल मे भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का कार्य रेड सील के पूर्व करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक पं.10(1)नविवि/1/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक पं.40(35) सामान्य/2020/3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(01)नविवि/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 के तहत गैर राजकीय भूमि, अधिक वं अतिरिक्त कार्यो एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गये विकास कार्यो का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कार्यो का कमेटी द्वारा प्रस्तावित भुगतान/व्यय तथा मापपुस्तिका में रेड सील पूर्व इन्द्राज माप के अनुसार प्रस्तुत अंतिम बिल राशि निम्नानुसार है :–

क्र.सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबंध	कमेटी द्वारा प्रस्तुत कुल भुगतान	रेड सील पूर्व माप के अनुसार भुगतान योग्य शेष राशि
01	रामदेवजी का मंदिर घांची समाज मे हॉल मे भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का कार्य	मैसर्स मां बिरजाजी ट्रेडिंग	एफ 38 (24) 2013–14	1388192/–	1775527/–

राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की कुल राशि रू. 13.88 लाख है तथा कुल व्यय राशि रू. 31.64 लाख है अतः संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत राशि रूपये 31.64 लाख तथा कार्य समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को निदेशक–वित्त एवं निदेशक–अभियांत्रिकी से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 61 :: पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य के माप पुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य के माप पुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक पं.10(1)नविवि/1/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक पं.40(35) सामान्य/2020/3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(01)नविवि/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 के तहत गैर राजकीय भूमि, अधिक वं अतिरिक्त कार्यो एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गये विकास कार्यो का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कार्यो का कमेटी द्वारा प्रस्तावित भुगतान/व्यय तथा मापपुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबंध	कमेटी द्वारा प्रस्तुत कुल भुगतान	मापपुस्तिका में माप के भुगतान की दर पूर्ण करने पर बढी हुई राशि का भुगतान
01	पावटा चौराहा नेनी बाई मंदिर स्टेंडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य	मैसर्स बी पी चौधरी	एफ 38 (74) 2013–14	14426638/–	315409/–

उक्त अतंर राशि मापपुस्तिका में Part Rate को full Rate करने पर बढा है अतः बढी हुई राशि रू. 3.16 लाख के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को निदेशक–वित्त एवं निदेशक–अभियांत्रिकी से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग–12/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 26... /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

27/5/22

(हरमान मीना)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2022 / 1079 – 1086 दिनांक :: 27 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर / दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

27/4/22

(हरमान मीना)
सचिव

श्री (डॉ.) इन्द्रजीत यादव, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को सांय 3.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी (प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जोधपुर), जोधपुर
2. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जोधपुर
3. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी, जोधपुर
4. श्री चैनसिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
5. श्री हरजीराम, उप अधीक्षक, पुलिस, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
6. श्री राजेश कुमार, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
7. श्री करणराज जीनगर, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
8. श्री श्रवण दाधिच, प्रबन्धक यातायात (एम.टी.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री अरविन्द कुमार, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री राजेन्द्रसिंह चान्दावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री नीरज मिश्रा, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–मुख्याल, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री राकेश कुमार, शर्मा, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– बैठक/2022/ दिनांक :: / /2022

संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26/04/2022 के प्रस्ताव संख्या 53 के अन्तर्गत सहवन से टंकण त्रुटिवंश आवंटित आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट के स्थान पर 500 वर्गमीटर के टंकित हो गया । जो कि 500 वर्गमीटर के स्थान पर 500 वर्गफीट पढ़ा जावे। इसे बैठक कार्यवाही विवरण का अभिन्न अंग समझा जावे।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– बैठक/2022/ 1156 – 1174 दिनांक :: २6 /5/2022

प्रतिलिपि वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय,) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, **(RAJREDCO)** 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने टोंक रोड़ जयुपर
06. उपायुक्त–पुर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात,जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औघोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको– जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर/प्रबन्धक (याता.) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड
12. उप निदेशक,, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक–अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त– पूर्व/पश्चिम/उतर/दक्षिण/मुख्यालय/उपसचिव/भूमि अवाप्ति अधिकारी,जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता –I/II जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर